न्यायालय मुन्सिफ
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर, सारण।

उपस्थित–नज़ीम अहमद, मुन्सिफ, सोनपुर, सारण।

<u>स्वत्व वाद संख्या : 05/2024</u>

श्यामनाथ महतो एवं अन्य.............वादीगण।

बनाम

मुकुल सिंह एवं अन्य................प्रतिवादीगण।

<u>आदेश</u>

<u>19.06.2026</u> उभय पक्ष की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–17.04.2026 अन्तर्गत आदेश–22, नियम–4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु उपस्थापित है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदन चालित हुआ। सुना।

वादी पक्ष के द्वारा दाखिल उक्त आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–03, भोला सिंह वल्द राजू प्रताप चौहान अपने पीछे अपने दो पुत्र क्रमशः 1. रोहित कुमार तथा 2. राहुल कुमार को छोड़कर दिनांक–17.02.2026 को मर गये। उपर्युक्त लोग ही उक्त मृत प्रतिवादी के जायज वारिसान हैं। उक्त मृतक प्रतिवादी की पत्नी का पूर्व में ही निधन हो चुका है तथा उनके जिवित उपर्युक्त दोनों पुत्रों में से एक पुत्र रोहित कुमार पूर्व से ही प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–04 के रूप में प्रस्तुत वाद में पक्षकार हैं। उपर्युक्त स्थिति में मृत प्रतिवादी के मृत्युपरांत उनका नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके नाम के स्थान पर केवल उनके दूसरे पुत्र राहुल कुमार को वाद पत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रतिस्थापन का आवेदन समय सीमा के अन्तर्गत एवं शपथ–पत्र द्वारा सत्यापित है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में उपर्युक्त मृत प्रतिवादी का नाम वाद–पत्र के प्रतिवादी खाना से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यास्थापित करने का आदेश पारित किया जाये।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी पक्ष के प्रस्तुत आवेदन का कोई विरोध नहीं किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। वादी पक्ष द्वारा दाखिल प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रस्तुत वाद के **प्रतिवादी संख्या–03, भोला सिंह** के मृत्युपरांत उनका नाम वाद–पत्र से कलमजद कर एवं उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान के रूप में उनके दूसरे पुत्र राहुल कुमार नाम इस आधार पर प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया गया है कि उनके विधिक वारिसान के रूप में उनके केवल दो पुत्र हैं जिनमें प्रथम पुत्र रोहित कुमार पूर्व से ही प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–04 के रूप में पक्षकार हैं। वादी पक्ष के प्रस्तुत आवेदन का प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। वादी पक्ष के प्रस्तुत प्रतिस्थापन का आवेदन समय सीमा के अन्तर्गत एवं वादी संख्या–01 श्यामनाथ महतो के शपथ–पत्र द्वारा सत्यापित है।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वादी पक्ष द्वारा दाखिल प्रस्तुत आवेदन को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है। वादी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उचित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यालय लिपिक के समक्ष मृत **प्रतिवादी संख्या–03, भोला सिंह** का नाम वाद–पत्र के प्रतिवादी खाना से **विलोपित** कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम आवेदनानुसार वाद–पत्र में प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

दिनांक–**<u>24.07.2026</u>** अग्रतर कार्रवाई हेतु।

(लेखापित)

मुन्सिफ, सोनपुर।

Web copy not official